

प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशिके वितरण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा से राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशिके वितरण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बट्टि

- रबी एवं उद्यानिकी फसलों की बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग डेढ़ लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल बीमा दावा राशिके भुगतान में विलंब न हो, इसके मद्देनजर राजधानी रायपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बजाय दंतेवाड़ा से ही ऑनलाइन शुभारंभ किया। इससे पूर्व गोधन न्याय योजना की राशिके वितरण उन्होंने सरगुजा संभाग में भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान रामानुजगंज से किया था।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग 1 लाख 45 हजार किसानों को 297 करोड़ 9 लाख रुपए तथा उद्यानिकी फसलों के मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,747 कृषकों को 10 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। खरीफ 2021 में राज्य के 3 लाख 97 हजार कृषकों को 752 करोड़ रुपए की दावा राशिके भुगतान किया गया है।
- कृषिमंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सबसे अधिक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने और राज्य के किसानों को इसका लाभ दिलाने में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। किसानों को रबी फसलों के बीमा दावा का भुगतान के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अरहर, मूँग और उड़द के लिये मात्र 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों गेहूँ, चना, राई-सरसों एवं अलसी के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होती है। शेष बीमा प्रीमियम राशिके आधा-आधा हिस्सा राज्यांश एवं केंद्रांश होता है।